प्रेस नोट,

जनपद बस्ती।

दिनांक 02.04.2025

थाना छावनी पुलिस व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में 05 अंतर्जनपदीय अभियुक्तों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर जनपद बस्ती के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पूर्व में हुई चोरियों का अनावरण किया गया-

थाना छावनी पुलिस व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में मुखबीर की सूचना पर 04 अभियुक्तों 1. शिखर सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह निवासी धनेसरपुर थाना वजीरगंज जनपद- गोण्डा उम्र करीब 19 वर्ष, 2. छोटू सिंह उर्फ ओम सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी बानेपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा उम्र करीब 21 वर्ष, 3. सूरज सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी छतौना थाना छावनी जनपद बस्ती उम्र करीब 24 वर्ष, 4. शिवपूजन चौहान उर्फ बुधई पुत्र रामदुलारे चौहान निवासी छतौना थाना- छावनी जनपद बस्ती उम्र करीब 22 वर्ष को थाना छावनी क्षेत्रांतर्गत बबुरहवा अंडर पास से गिरफ्तार कर पूछताछ के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में पूर्व में हुई चोरियों का अनावरण किया गया। पकड़े गये व्यक्तियों की निशानदेही पर ग्राम छतौना में बने अन्त्येष्ठि स्थल से कुछ दूरी पर लगी गेहूं की फसल में नदी के किनारे से चोरी का सामान बरामद किया गया। एक अभियुक्त ओम सिंह द्वारा बताया गया कि चोरी के कुछ आभूषण हम लोग थाना नवाबगंज जनपद-गोण्डा कस्बा में सोने की दुकान पर ले जाकर एक सोनार निजामुद्दिन पुत्र शौकत अली निवासी मोहल्ला मुट्ठीगंज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के यहां 35000/- रुपये में बेचे थे, जो रूपया मिला था, उसको हम लोग बराबर-बराबर आपस में बांट लिए तथा खर्च कर दिये। इस पर निजामुद्दीन उपरोक्त को पूछताछ हेतु थाना स्थानीय पर लाया गया, जिनके द्वारा स्वीकार किया गया कि मैनें उक्त के द्वारा लाये गये चोरी के सामान को खरीदा था। चोरी का सामान खरीदने पर जुर्म व धारा से अवगत कराते हुए निजामुद्दीन उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना छावनी पर पूर्व में चोरियों के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 88/2025 धारा 305(a), 331(2) BNS व मु0अ0सं0 22/2025 धारा 305(a) BNS व मु0अ0स0 61/2025 धारा 305 (a), 331(2) BNS व मु0अ0सं0 86/2025 धारा 305 (a), 331(2) BNS पूर्व में पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के धारा 317(2), 317(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 25000 रूपये के इनाम की घोषणा की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शिखर सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह निवासी धनेसरपुर थाना वजीरगंज जनपद- गोण्डा उम्र करीब 19 वर्ष।

2. छोटू सिंह उर्फ ओम सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी बानेपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा उम्र करीब 21 वर्ष।
3. सूरज सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी छतौना थाना छावनी जनपद बस्ती उम्र करीब 24 वर्ष।
4. शिवपूजन चौहान उर्फ बुधई पुत्र रामदुलारे चौहान निवासी छतौना थाना- छावनी जनपद बस्ती उम्र करीब 22 वर्ष।
5. निजामुद्दिन पुत्र शौकत अली निवासी मोहल्ला मुट्ठीगंज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक 02.04.2025 को समय करीब 03.20 बजे 04 व्यक्तियों को बबुरहवा अन्डर पास(नेशनल हाइवे 28) हिरासत पुलिस में लिया गया। तथा एक अन्य अभियुक्त को समय 10.15 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद विडियो कैमरा बड़ा साईज, 01 अदद कैमरा छोटा, 01 अदद इनवर्टर मशीन, 01 अदद इनवर्टर बैट्री, 01 अदद मोबाइल, सोल्डींग करने वाली मशीन, बर्तन पीतल, फुल आदि भारी मात्रा में, 01 अदद टीवी सैमसंग 32 इंच, 01 अदद मोटरसाईकिल HF DELUXE नीला रंग, पांच अदद मोबाइल छोटी बड़ी बंद शुदा, 01 बैग में कपड़ा, 01 अदद टूल्लू पम्प, 01 अदद लोहे की आरी, दो अदद ताला तोड़ने के लिए प्रयोग करने हेतु रिंच, 01 अदद सफेद धातु की माला, 03 सफेद धातु की बिछिया, बच्चे का 02 अदद चुडिला सफेद रंग, 02 जोडा पायल, 01 अदद अंगठी पीली धातु, 01 अदद कार वाहन ।

आपराधिक इतिहास- छोटू सिंह उर्फ ओम सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी बानेपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा

1. मु0अ0सं0 72/2025 धारा 305ए बीएनएस थाना वजीरगंज, गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 74/2025 धारा 305ए बीएनएस थाना वजीरगंज, गोण्डा।

पूछताछ/ घटना का विवरण- पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हमलोग वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पैड़ा चौराहा से दिनांक 22/23.02-2025 की रात्रि में एक दुकान से ताला तोड़कर कुछ रुपया चुराये थे, तथा एक कपडे की दुकान का ताला तोड़कर कुछ रूपया चुराये थे, एक पान की गुमटी का ताला तोड़कर उसमें से कुछ सामान चुराये थे तथा पैड़ा चौराहे पर अन्य दुकान से भी नगदी व सामान चोरी किया

गया था, भादी खुर्द में मन्दिर से छोटे बड़े घन्टे भी चुराये थे जिसको हमलोग चलते फिरते राह में बेच दिये तथा उससे मिले पैसे खर्च कर दिये।

दिनांक 23/24.03.2025 की रात्रि में थाना छावनी अंतर्गत ग्राम बबुरहवा में स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर उसमे से 01 अदद विडियो कैमरा, 01 अदद छोटा कैमरा, 01 अदद इन्वर्टर व इनवर्टर की बेट्री व मोबाइल सोल्डिंग करने वाली मशीन आदि चोरी किया गया था, तथा दिनांक 17.01.2025 की रात्रि ग्राम सेवरा लाला में एक घर में चोरी किये थे, तथा दिनांक 04.03.2025 की रात्रि में ग्राम खड़ैचा में एक पक्का मकान जिसमे बाहर से सीढ़ी बनी हुई है, उसके ऊपरी मंजिल पर चढ़कर 01 कमरे में चोरी किये थे तथा ग्राम खड़ैचा में ही एक बंद मकान से ताला तोड़कर चोरी किये थे तथा ग्राम खड़ैचा मे ही गाव के पश्चिम 01 मकान में बगल के छत से चढ़कर उपर के कमरे का ताला तोड़कर बक्से में रखा बर्तन चुराये थे। दिनाक 04.03.2025 की रात्रि में ही ग्राम खड़ैचा से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम कलानी कला में 01 मकान में जंगले का ग्रील उखाड़कर घर में घुसकर चोरी किये थे तथा दिनांक 27/28.03.2025 की रात्रि में ग्राम देवढाल में जंगले में लगे ग्रील को उखाडकर कमरे में घुसकर चोरी किये थे।

थाना हरैया क्षेत्र में दिनांक. 10-12-2024 की रात्रि में ग्राम भदासी में एक घर में घुसकर कमरे का ताला तोड़कर चोरी किये थे। तथा दिनांक 28/29.11.2024 की रात्रि को थाना कोतवाली बस्ती क्षेत्र के प्रज्ञा पूजन भण्डार रौता चौराहा गांधीनगर से भी चोरी किया गया था तथा दिनांक 19.01.2025 की रात्रि में ग्राम बानेपुर तथा दिनांक 06.02.2025 की रात्रि में ग्राम करदह, बालिका इण्टर कालेज वजीरगंज जनपद- गोण्डा में भी घटना को अंजाम दिये थे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष छावनी भानू प्रताप सिंह, जनपद बस्ती।
2. प्रभारी स्वाट टीम संतोष कुमार, जनपद बस्ती।
3. उ0नि0 झारखण्डे पाण्डेय थाना छावनी जनपद बस्ती।
4. हे0कां0 जितेन्द्र कुमार मौर्य, हे0कां0 राघवेन्द्र दुबे, कां0 लवकुश कुमार सिंह, कां0 अभिमन्यू शर्मा थाना छावनी जनपद बस्ती।
5. हे0कां0 अवनीश सिंह, हे0कां0 पवन तिवारी, कां0 शुभेन्द्र तिवारी, कां0 किशन सिंह स्वाट टीम जनपद बस्ती।

Supreme

Supreme